20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

198

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा/2018/1554

प्रकरण क्रमांक:- ।२०१८- निगरानी (पुनराविलोकन

१- परमाल सिंह । पुत्रगण रणवीर सिंह,
२- पृथ्वी सिंह ।
३- अनुराग सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह,
समस्त निवासीगण- ग्राम- करहैया, तैहसील चीन
जिला ग्वालियर-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

विरुध्द

१- रामबाबू पुत्र सियाराम तिवारी,
२- अवधेश सिंह पुत्र हरदयाल तिवारी,
३- अविनाश सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह
४- भीकम सिंह ।
५- मुलायम सिंह । पुत्रगण- खेमराज
६- कृपाल सिंह ।
७- शिशुपाल सिंह ।
८- बाबू सिंह पुत्र नादरिया,
समस्त निवासीगण- ग्राम- करहैया, तैहसील-चीन
जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

-----प्रतिप्रार्थीगण

पुनरविलोकन आवेदन पत्र विरुध्द आदेश माननीय राजस्व मण्डल, मध्य
(पीठासीन माननीय श्री मनोज गोयल-अध्यक्ष) दिनांक ७-२-१८, अन्तः
धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० पी०बी०आर०।
निगरानी। ग्वालियर भू-राजस्व ।२०१७।२०८६ ।

श्रीमान् जी,,

पुनरविलोकन आवेदन-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा./2018/1554

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष
26-3-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 7-2-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय न्यायालय के प्र.क्र. PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2089 में पारित आदेश दिनांक 7-2-18 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है गया है :- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश पारित किया गया था, उस पक्ष के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से अन्तिम सुनवाई उपरांत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा पर विचार न करने का आधार लिया गया है । एक बार बार अन्तिम सुनवाई में दोनों पक्षों द्वारा पृथक-पृथक पक्ष लेने के बाद अप्रमाणिक राजीनामा, जो प्रकरण आदेशार्थ नियत होने के बाद कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, आदेश का आधार नहीं बनाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटिदर्शाने का प्रयास किया गया है, जो कि पुनर्विलोकन का आधार नहीं है है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	